तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **भरत बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 152/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-06-2022	अपीलार्थी भरत, निवासी नवचौकिया, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.03..2022 में (1) ग्राम चौपासनी संबंधित दिनांक 15.10.1955 से 31.12.1975 तक हुए नामान्तरकरणों की नकल, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 315 दिनांक 04.04.2022 के सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि तहसीलदार ने अपने पत्रांक सू.अ.अ./2022/315 दिनांक 04.04.22 द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचना के लिए सूचित किया गया कि 1955 से 1960 तक कोई नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने एवं 1960 से 1975 तक दर्ज नामान्तरकरण सं0 01 से 60 पूर्णरूप से कटे फटे जीण शीर्ण अवस्था में होने के कारण नकल दिया जाना संभव नहीं होना कहा, जबकि पटवार हलका चौखा में यदि उपरोक्त सूचना देने लायक नहीं थी तो तहसीलदार द्वारा निर्धारित अवधि में सूचित किया जा सकता था अथवा तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण की द्वितीय प्रति जो सदर कानूनगों कार्यालय में उपलब्ध है, वहां से दिलवाई जा सकती थी। यद्यपि रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, परन्तु तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को अपने पत्रांक/सू.अ.अ/2009/ 315 दिनांक 04.04.22 को एक पत्र (अपील मीमों के संलग्न) में पटवारी हलका की चौखा की रिपोर्ट अनुसार प्रथम नामान्तकरण वर्ष 1960 में दायर हुआ तथा 1960 से 1975 तक दर्ज नामान्तरकरण सं0 01 से 60 पूर्णरूप से कटे फटे जीण शीर्ण अवस्था में होने के कारण नकल दिया जाना संभव नहीं होना कहा। हम अपीलार्थीपक्ष के इस कथन से सहमत है कि पटवार हलका चौखा में यदि उपरोक्त सूचना देने लायक नहीं थी तो प्रथमतः तहसीलदार द्वारा निर्धारित अवधि में सूचित किया जाना चाहिए था, द्वितीयत् तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण की द्वितीय प्रति जो सदर कानूनगों कार्यालय में उपलब्ध है वहां से दिलवाई जा सकती थी, परन्तु इस प्रकरण में तहसीलदार जोधपुर द्वारा विधिसम्मतः कार्यवाही नहीं करना, विधिक प्रावधानों का आत्मसात् नहीं करने का फल है अतः अपील स्वीकार योग्य होने से अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में निशुल्कः उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	